

# कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 289 / 01 / आउशि / राज.स्था. / 2025

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 / 07 / 2025

प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक/सहा.प्राध्यापक के पदों पर  
अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था बाबत।  
संदर्भ:- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र क्र. ESTB-  
1027/1216/2025/38-1 दिनांक 23.07.2025।

—00—

उक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभागीय ज्ञापन क्र. एफ 3-54/स्था./2020/38-1 दिनांक 20.06.2024 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की अध्यापन व्यवस्था सुचारु रूप से संचालन हेतु अतिथि व्याख्याता नीति-2024 जारी किये गये हैं।

संदर्भित पत्र के माध्यम से शासन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में दी गई मापदंडों के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति करने की सहमति प्रदान की गई है।

कृपया अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न -उपरोक्तानुसार

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

अटल नगर, नवा रायपुर

जिला-रायपुर (छ.ग.)

अटल नगर, दिनांक 23/07/2025

पृ.क्र. 290 / 01 / आउशि / राज.स्था. / 2025

प्रतिलिपि :-

- 1/- सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर, जिला-रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।
- 2/- अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर (छ.ग.) संभाग की ओर सूचनार्थ।
- 3/- समस्त जिला कोषालय अधिकारी, ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

अटल नगर, नवा रायपुर

जिला-रायपुर (छ.ग.)